

नीलामी की सूचना

पुलिस लाइन, बाराबंकी परिसर में आधी से गिरे बृक्षों की लकड़ी (आम, अर्जुन, बरगद, सिरसा) की सार्वजनिक नीलामी की जानी है। दिनांक 22-08-2017 को पुलिस लाइन्स बाराबंकी परिसर में जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी लाइन्स एवं प्रतिस्तर निरीक्षक बाराबंकी की उपस्थिति में नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही उच्चतम बोली के आधार पर समय 12.00 बजे सम्पन्न की जायेगी। उक्त लकड़ी को खरीदने के इच्छुक ठेकेदार निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। उच्चतम बोली बोलने वाले ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। नीलामी के उपरान्त प्राप्त धनराशि कोषागार में जमा कराये जाने हेतु प्रतिस्तर निरीक्षक बाराबंकी द्वारा आंकिक पुलिस कार्यालय बाराबंकी को उपलब्ध करायी जायेगी। ठेकेदार द्वारा उक्त अधिकारियों की उपस्थिति में प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार लकड़ी उठाने आदि की कार्यवाही की जायेगी।

पत्राक: न-106/2017

दिनांक: जुलाई 29, 2017


पुलिस अधीक्षक
बाराबंकी।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र, फैजाबाद।
- 3- अपर पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी, बाराबंकी।
- 4- क्षेत्राधिकारी लाइन्स बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि पर पुलिस लाइन्स बाराबंकी में समय से उपस्थित रहकर नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।
- 5- राज्य सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना निदेशालय, नरही जनपद लखनऊ को नीलामी की सूचना दैनिक समाचार पत्र एवं अन्य जनसम्पर्क माध्यमों द्वारा प्रकाशित/प्रसारित कराये जाने हेतु सी0डी0 एवं नीलामी की 07 प्रतियां संलग्नकर प्रेषित।
- 6- जिला सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी, जनपद बाराबंकी को नीलामी की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों एवं spbbk@nic.in के वेब पर प्रदर्शित कर व अन्य जनसम्पर्क माध्यमों द्वारा प्रकाशित/प्रसारित कराये जाने हेतु।
- 7- प्रतिस्तर निरीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त अधिकारियों के पर्यवेक्षण में नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार करारकर, उससे प्राप्त धनराशि आंकिक कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर नीलामी की सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
- 8- आंकिक पुलिस कार्यालय बाराबंकी को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि नीलामी के समय नीलामी स्थल पर उपस्थित रहकर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 9- समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्र प्रचार/प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
- 10- प्रधान लिपिक, पुलिस कार्यालय बाराबंकी को नोटिस बोर्ड पर कराने हेतु।